

UPBN120021092024



Presented on : 24-09-2024
Registered on : 25-09-2024
Decided on : 01-07-2026
Duration : 1 years, 9 months, 7 days

IN THE COURT OF
Civil Judge Jr. Div. Bisauli, Budaun
AT BISAULI, Budaun
(Presided Over by SUSHRI SHAFALI CHANDRAVANSHI)

Warrant or Summons Criminal Case/730/2024

अब्दुल जब्बार बनाम जया हैदर उर्फ अमशेद आदि।
थाना-इस्लामनगर, जनपद बदायूँ।

दिनांक 01.07.2026

आज यह पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित, अधिवक्ता अनुपस्थित। परिवादी न तो स्वयं उपस्थित है न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा उपरोक्त प्रकरण अंतर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं० के माध्यम से विपक्षीगण के विरुद्ध न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसको न्यायालय द्वारा दिनांक 23.09.2024 को परिवाद के रूप में पंजीकृत करने हेतु आदेशित किया गया। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते साक्ष्य अंतर्गत धारा-200 दं०प्र०सं० चल रही है। परिवादी दिनांक-23.09.2024 से निरंतर अनुपस्थित है। परिवादी को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु दिनांक 08.06.2026 को अन्तिम अवसर प्रदान किया जा चुका है, किन्तु वह न्यायालय में उपस्थित नहीं आ रहा है और न ही पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जिससे कि विपक्षीगण को तलब किया जा सके। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी को अपना परिवाद अग्रसारित करने में कोई रुचि नहीं है। उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में विपक्षीगण को प्रथम दृष्टया तलब किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। अतः उक्त परिस्थिति में प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा- 203 दं०प्र०सं० निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद अंतर्गत धारा- 203 दं०प्र०सं० में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(शैफाली चन्द्रवंशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसौली, बदायूँ।
J.O.Code-UP4649